

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 26046

दिनांक: 26-12-2019

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका वैर जिला भरतपुर में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु श्री ओम प्रकाश व्यास को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनेल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका, वैर जिला भरतपुर से देय होगा।


(उज्ज्वल राठौड)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 26047-54


दिनांक: 26-12-2019

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर।
05. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, वैर जिला भरतपुर।
06. श्री ओम प्रकाश व्यास एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, वैर।

07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी